ए.

जयंतल वर्मा

वी.

एम. पी. का राज्य (अब छत्तीसगढ़) (2015 की आपराधिक अपील संख्या 590) 19 नवंबर, 2020

बी.

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे।**]**

दंड संहिता, 1860:

एस।302 – गला घोंटने से हुई मृत्यु-मृतक के वैवाहिक घर में-पति (अपीलार्थी-आरोपी) और मृतक के ससुर और सास के खिलाफ आरोप पत्र-पीडब्लू-1 के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा करते हुए निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया।302 – मृतक के ससुर की मृत्यु के कारण उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में अभियोजन की अपील के दौरान-उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सास को बरी कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःपीडब्लू-1 का साक्ष्य सुसंगत और ठोस था-इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, घटना से कुछ समय पहले और बाहरी व्यक्ति के आने और मृतक का गला घोंटने की कोई संभावना नहीं थी, यह आरोपी को समझाना था कि मृतक को कैसे चोटें लग सकती थीं-आरोपी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था-इसलिए विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है-अपीलार्थी-आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार रखी गई-हालाँकि, राज्य को 14 साल की वास्तविक सजा पूरी होने पर आरोपी की रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

एफ.

पकड़नाः**1.1** इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़ी संख्या में गवाह मुकर गए और निचली अदालत भी अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले को चलाने के तरीके से खुश नहीं थी।लेकिन लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों में यह कोई असामान्य घटना नहीं है और किसी भी

गवाह संरक्षण व्यवस्था के अभाव में, किसी को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या सबूत है जिस पर विचार किया जा सकता है, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि क्या यह अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा।**[**पैरा **20] [420-**डी-ई**]**

जी.

एच.

411 ए.

412 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 12 एस. सी. आर.

1.2 मृतक के असली भाई के शत्रुतापूर्ण होने के पीछे के कारण के बारे में निष्कर्ष पर आने के लिए अपनाया गया तर्क भी स्पष्ट और सही है, यानी मृतक के भाई-बहनों और अपीलार्थी के विवाहित होने को देखते हुए, तत्काल मामले में विवाह द्वारा बने करीबी पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए।भारतीय संदर्भ में, दो परिवारों के बीच एक निरंतर संबंध मौजूद है जिसमें बहू दूसरे घर से आती है।**[**पैरा **21] [420-**ई-जी**]**

बी.

1.3 अभियोजन पक्ष का मामला केवल पीडब्लू**-1** की गवाही और चिकित्सा साक्ष्य पर निर्भर करता है।पीडब्लू**-1** का बयान सुसंगत और ठोस था, सिवाय इसके कि पहले के बयान में उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था कि मौत का कारण सर्पदंश था।हालाँकि, यह स्वयं उनकी गवाही के शेष हिस्से को रद्द नहीं करेगा।वास्तव में, उक्त गवाह बयान से पीछे नहीं हटे, लेकिन यह कारण नहीं बता सके कि पुलिस ने इसे प्राथमिकी में दर्ज क्यों नहीं किया, हालांकि इसका उल्लेख किया गया था।**[**पैरा **22] [420-**जी-एच**; 421-**ए**]**

सी.

डी.

यानोब शेख उर्फ गागू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(2013)**

6 एससीसी 428:[2012] 13 एस. सी. आर. 1150; गुलाम सरबर बनाम

बिहार राज्य **(**अब झारखंड**) (2014) 3** एससीसी **401:**

[2013] 12 एस**.** सी**.** आर**. 1-**संदर्भित।

ई.

1.4 डॉक्टर ने मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया।इसके बाद, उन्होंने कहा है कि प्रकृति घातक हो सकती है।ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि दम घुटना मौत

का कारण था, डॉक्टर खुद निर्णायक रूप से यह नहीं कह सकते थे कि यह हत्या थी या आत्महत्या।यह भी स्वेच्छा से राय दी गई थी कि मौत का कारण बनने के लिए कम से कम पांच मिनट का बलपूर्वक खींचना आवश्यक था।**[**पैरा **23] [421-**ए**-**सी**]**

एफ.

1.5 मृत्यु का कारण बना और शव अपीलार्थी के घर के परिसर में पाया गया, जहाँ केवल परिवार के सदस्य रह रहे थे।उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि घर और आसपास की इमारतों का स्थान ऐसा था कि बाहर से किसी के आने और मृतक का गला घोंटने की कोई संभावना नहीं थी और वह भी बिना कोई हंगामा किए या कोई मूल्यवान/आभूषण गायब हुए।**[**पैरा **24] [421-**बी**-**डी**]** ए

जी.

एच.

413

जयंतियल वर्मा बनाम एम. पी. राज्य (अब छत्तीसगढ़)

1.6 वर्तमान मामले में, न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां एक पति के रूप में अपीलार्थी पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की है।यह तथ्य भी काफी स्पष्ट है कि घटना से कुछ समय पहले परिवार के सदस्य घर में थे।इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि पत्नी को चोट कैसे लगी होगी।यह एक मजबूत परिस्थिति है जो दर्शाती है कि वह अपराध करने के लिए जिम्मेदार है। अपीलार्थी आई**.** डी**. 1** की धारा **313** के तहत दर्ज किए गए बयान में मृत्यु के कारण के बारे में एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य था और ऐसी स्थिति में केवल इनकार ही जवाब नहीं हो सकता था।**[**पैरा **25] [421-**डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2006)**

10 एससीसी **681:[2006] 7** सप**.**एस**.** सी**.** आर**. 156-**पर निर्भर।

अमरसिंह मुन्नसिंह सूर्यवंशी बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2007) 15 एससीसी 455:[2007] 11 एससीआर 1;

राज कुमार प्रसाद तामारकर बनाम बिहार राज्य और अन्न।

डी.

(2007) 10 एससीसी **433:[2007] 1** एस**.** सी**.** आर**. 13-**संदर्भित।

2. तथापि**,** प्रत्यर्थी**-**राज्य को यह जांचने का निर्देश दिया जाता है कि क्या अपीलार्थी ने वास्तविक सजा के **14** वर्ष पूरे कर लिए हैं या नहीं और यदि ऐसा है**,** तो मानदंडों के अनुसार रिहाई के लिए उसके मामले की अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर जांच की जानी चाहिए।यदि नहीं**,** तो वास्तविक सजा के **14** साल पूरे होने पर उसी समय के भीतर अभ्यास किया जाना चाहिए।**[**पैरा **27] [421-**एफ**-**एच**]** मामला विधि संदर्भ

ई.

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

[2007] 11 एससीआर **1**

एफ.

[2007] 1 एससीआर **13**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

[2006] 7 सप**.**एससीआर **156** पर भरोसा किया गया

पैरा **15 [2012] 13** एससीआर **1150** पैरा **18 [2013] 12** एससीआर **1** को संदर्भित किया गया है।

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2015 की आपराधिक अपील संख्या 590।

2000 के आपराधिक अपील सं. 1930 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 18.09.2014 के निर्णय और आदेश से।

एच.

ए.

सतीश पांडे, सलीम अंसारी, उमंग त्रिपाठी, सुश्री गीता वर्मा, मनमोहन शर्मा, राघवेंद्र कुमार और निशांत पाटिल, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

बी.

1. आई. डी. 1 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एम. पी. (अब छत्तीसगढ़) के राजनंदगांव जिले के उसलापुर गाँव में स्थित अपने वैवाहिक घर में साहोदरा बाई एक खाट पर मृत पाई गईं।उसके भाई किशोर कुमार के कहने पर पुलिस को एक मार्ग सूचना दी गई, जिसने आरोप लगाया कि वह अपनी बहन को देखने के लिए गाँव उसलापुर लौटा था, जहाँ उसे उसके ससुराल वालों ने सूचित किया कि उसकी मृत्यु हो गई है।उन्होंने कुछ दिन पहले की एक पूर्व घटना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि मृतक आईडी1 पर गाँव बैहरसरी में अपने मायके लौटी थी और कहा था कि उसे पिछले 6-7 महीनों से अपने ससुराल वालों के हाथों परेशान किया जा रहा था।उत्पीड़न का कारण यह बताया गया था कि इसमें अपीलार्थी (उसके पति) का एक भाई था जो अलग रहता था और अगर वह अपीलार्थी के भाई की पत्नी से बात करने का प्रयास करती थी तो ससुराल वाले उसे पीटते और परेशान करते थे।सुलह का प्रयास तब हुआ जब किशोर कुमार एक अन्य भाई लोचन के साथ मृतक को उसके वैवाहिक घर वापस ले आए थे। उस समय भी, यह पूछे जाने पर कि क्या वे चाहते हैं कि वह उनके साथ रहे, ससुराल वालों ने जवाब दिया कि वे कुछ दिनों के लिए देखेंगे और फिर फैसला करेंगे।इसके बाद मृतक अपने वैवाहिक घर में रह गया।

सी.

डी.

ई.

2. शव का पोस्टमॉर्टम किया गया और पी. एस. बोडला, जिला कावरघा में आई. डी. 1 दर्ज की गई, जिसमें अपीलकर्ता, उसके पिता, एक लालचंद और मां, एक अहिमान बाई को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी बनाया गया।कहा जाता है कि एफ. आई. आर. पी. एस. बोडला के एस. एच. ओ. के. पी. एस. पैकरा के कहने पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने मार्ग सूचना से उपर्युक्त जानकारी दी और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों के साथ मृतक और अपीलार्थी के संबंधों के बारे में भी विस्तार से बताया।अपीलार्थी और मृतक के बीच विवाह घटना से लगभग 8 साल पहले हुआ था और एक बेटे का जन्म हुआ था, जो केवल कुछ महीने

का था।इसमें अपीलार्थी, मृतक के साथ अपने माता-पिता के साथ रह रहा था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मौत का कारण ए था

एफ.

जी.

एच.

415

जयंतियल वर्मा बनाम एम. पी. राज्य (अब छत्तीसगढ़) [संजय किशन कौल, जे।] ए.

गला घोंटने के कारण दम घुटना, और मृत्यु की प्रकृति संभवतः हत्या थी।अनुसंधान पूरा होने पर, आरोप पत्र सं. 64/99 दायर किया गया था और सत्र न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण No.165/1999 में आरोप तैयार किए गए थे, जिसमें अपीलार्थी और उसके माता-पिता को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था।अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयानों में दिया गया बयान (जिसे इसके बाद 'आई. डी. 1' के रूप में संदर्भित किया गया है) यह था कि घटना की सुबह तीनों अभियुक्त खेतों में गए थे, जबकि केवल मृतक ही घर पर रहा था।लालचंद ने कहा कि तालाब में स्नान करने के बाद, जब वह लौटे, तो उन्होंने मृतक को अपनी खाट में मृत पाया।इसके बाद उन्होंने अपीलार्थी और उनकी पत्नी, अहीमन बाई को बुलाया, जो अभी भी खेतों में थीं।इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया।

बी.

सी.

3. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को स्थापित करने के लिए 9 गवाहों के साक्ष्य का नेतृत्व किया।इनमें से पांच गवाह मुकर गए-पीडब्लू-2 (लोचन), मृतक का भाई, पीडब्लू-3 (मुकुंद), पीडब्लू-4 (जगदेव), पीडब्लू-5 (पीतांबर वर्मा) और पीडब्लू-6 (घासिया)।इस प्रकार अभियोजन पक्ष का मामला शेष गवाहों की गवाही पर आधारित था, अर्थात पीडब्लू-1, मृतक के भाई किशोर कुमार और पीडब्लू-7, राजेंद्र चौहान, जिन्होंने स्थल योजना तैयार की, पीडब्लू-8, के. पी. एस. पैकारा, जांच अधिकारी और पीडब्लू-9, डॉ. एम. एस. बचर, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया।इस प्रकार, प्रभावी रूप से मामला पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही के अलावा पीडब्लू-1 की गवाही पर आधारित था।

डी.

ई.

4. सत्र न्यायालय ने दिनांक 1 के फैसले के संदर्भ में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए तीनों अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया।

5. सत्र न्यायालय का निष्कर्ष इस बात पर आधारित था कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था।डॉक्टर, पीडब्लू-9 की गवाही पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा किया गया था कि मौत हत्या थी क्योंकि यह गला घोंटने का परिणाम थी।अदालत द्वारा किसी अन्य तरीके से मौत की संभावना का पता लगाया गया था, यानी, चोर मृतक की गर्दन से चेन छीनने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं।इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि यह घटना घर में हुई थी, जो बदले में तीन तरफ के अन्य घरों से घिरा हुआ था और कोई हंगामा नहीं सुना गया था।इसके अलावा, हाल के दिनों में चोरी का कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था।इसके बाद, सर्पदंश से मृत्यु की संभावना का पता लगाया गया।यह पीडब्लू-1 की गवाही के कारण था, जिसने कहा था कि अपनी बहन को मृत पाते हुए और यह पूछते हुए कि क्या हुआ था, अपीलार्थी के पिता लालचंद ने कहा था।

एफ.

जी.

एच.

उसने कहा था कि उसकी मौत सर्पदंश से हुई थी।अदालत ने कहा कि पोस्टमॉर्टम में सांप के काटने का कोई लक्षण नहीं था क्योंकि शरीर पर कोई निशान या कोई जहर नहीं पाया गया था।आत्महत्या के सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि उसकी गर्दन पर खरोंच के निशान पाए गए थे।इस प्रकार, निष्कर्ष अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित था।तीनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील No.1930/2000 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी।अपील के लंबित रहने के दौरान मृतक के ससुर लालचंद का निधन हो गया।उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक की सास को दोषी ठहराने के लिए कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं था, और इसलिए उसे बरी कर दिया गया।हालाँकि, यहाँ अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

बी.

सी.

6. अपीलार्थी ने यहाँ वर्तमान अपील दायर की जिसमें 30.3.2015 पर अनुमति दी गई थी।

7. यह ध्यान रखना उचित होगा कि पीडब्लू-1 के बयान में इस हद तक कुछ सुधार हुआ था कि उन्होंने पहले के बयान में सांप के काटने से मृतक की मौत के बारे में लालचंद के स्पष्टीकरण का कभी उल्लेख नहीं किया था।यद्यपि ट्रायल कोर्ट द्वारा इस पर ध्यान दिया गया था, अन्य सभी पहलू उनके पहले के बयानों के अनुरूप पाए गए थे।समग्र रूप से पीडब्लू-1 की गवाही स्वाभाविक पाई गई।यह भी नोट किया गया कि पीडब्लू-1 और इसमें अपीलार्थी के परिवार के बीच किसी भी पूर्व शत्रुता का अभाव था।पी. डब्ल्यू.-1, संयोग से, मृतक का सौतेला भाई था, जबकि पी. डब्ल्यू.-2, जो शत्रुतापूर्ण हो गया, उसका असली भाई था।ट्रायल कोर्ट के अनुसार, गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने का कारण यह था कि पीडब्लू-2 मौजूदा पारिवारिक संबंधों के कारण प्रभावित था, क्योंकि लालचंद (अपीलार्थी की बहन) की बेटी का विवाह पीडब्लू-2 के भाई से हुआ था।

डी.

ई.

एफ.

8. परिस्थितिजनक साक्ष्य की बारीकी से जांच की गई क्योंकि यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, और यह पाया गया कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए एक पूरी श्रृंखला थी।मृतक की उसके मातृ गृह की यात्रा, उसके ससुराल वालों द्वारा उसके भाई, पीडब्लू-1 के साथ दुर्व्यवहार के बारे में उसका बयान, उसे पीडब्लू-1 द्वारा एक अन्य भाई, लोचन के साथ वैवाहिक गृह में ले जाया जा रहा है, पीडब्लू-1 और लालचंद के बीच चर्चा और अंत में हत्या के कारण सभी परिस्थितियों की जांच की गई ताकि आरोपी के अपराध को स्थापित किया जा सके।ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हत्या के बाद, लालचंद ने अपनी पत्नी और अपीलार्थी को खेतों में भेज दिया, जबकि वह खुद नहाने के लिए तालाब में गया था और जब वह अपने घर लौटा, तो उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए शोर मचाया।

जी.

एच.

417

जयंतियल वर्मा बनाम एम. पी. राज्य (अब छत्तीसगढ़) [संजय किशन कौल, जे।] ए.

मृतक की अचानक मृत्यु।चेन जैसी सामग्री से बनी वस्तु से गला घोंटने से मौत होने की संभावना थी, लेकिन वह संभवतः नष्ट हो गई थी।ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन के तरीके की निंदा की।

9. उच्च न्यायालय ने दी गई स्थिति में, पीडब्लू-1 की गवाही पर भरोसा करने के अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया।इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया गया कि मृतक के दोनों नथुने और मुंह से खून बह रहा था, दाहिने गाल पर सूजन थी, एपिग्लोटिस क्षेत्र और गर्दन के पीछे एक्किमोसिस के निशान थे, गाल की बाईं अक्षतन्तु पर चोट मौजूद थी और गर्दन के बाईं ओर एक माला का अवसाद का निशान था।इसने आगे कहा कि चूंकि घटना घर की गोपनीयता के भीतर हुई थी, इसलिए स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी घर में रहने वाले व्यक्तियों पर थी।ऐसी स्थितियों में, यह नोट किया गया कि अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करना मुश्किल है।इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 106 का उल्लेख किया, जो निम्नानुसार हैः

बी.

सी.

डी.

“106. तथ्य को साबित करने का बोझ, विशेष रूप से ज्ञान के भीतर।—

जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है।”

इस प्रकार, इसने राय दी कि ऐसे मामलों में, मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन यह अपेक्षाकृत हल्के चरित्र का होगा।अपराध कैसे किया गया था, इसके बारे में ठोस स्पष्टीकरण देने के लिए घर के कैदियों पर एक संबंधित बोझ होगा।वे चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर भाग नहीं सकते थे।10. तथ्यात्मक स्थिति की उपरोक्त रूपरेखाओं में हमने पक्षों के लिए विद्वान वकीलों की प्रस्तुतियों की जांच की है। 11. इसमें अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण यह था कि परिस्थितिजनक साक्ष्य ऐसी प्रकृति का नहीं था कि इसे निर्णायक कहा जा सके, और यहाँ अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य की श्रृंखला पूरी नहीं थी।क्रूरता के पिछले आरोप साबित नहीं हुए थे क्योंकि मृतक या उसके रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न की कोई पूर्व शिकायत दर्ज नहीं की गई थी और पीडब्लू-1 की गवाही को और भी बदनाम किया गया है, क्योंकि वह मृतक का सौतेला भाई है न कि उसका असली भाई।यह आगे तर्क दिया गया कि गवाहों के बयान 29.8.1999 से पहले, यानी घटना की तारीख से पांच दिनों के लिए दर्ज नहीं किए गए थे, और यहां तक कि पीडब्लू-7 द्वारा तैयार की गई साइट योजना भी थी

ई.

एफ.

जी.

सिद्ध नहीं हुआ।इसमें कहा गया था कि अपीलार्थी का मृतक को मारने का कोई इरादा या मकसद नहीं था और अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के बोझ से खुद को मुक्त नहीं कर सका।12. पीडब्लू-9, डॉ. बच्चकर की गवाही पर हमला किया गया क्योंकि मृत्यु की प्रकृति के बारे में कोई ठोस राय नहीं थी क्योंकि यह उल्लेख किया गया था कि यह "हत्या" हो सकती है।गर्दन के बाईं ओर एक निशान बताया गया था और लेकिन गर्दन के चारों ओर ऐसा कोई निशान नहीं था।उन्होंने कहा था कि निशान गर्दन पर हार दबाने के कारण हो सकता है, लेकिन उसी के कारण दम घुटना संभव नहीं था।इसमें अपीलार्थी से हार की कोई बरामदगी नहीं हुई थी और अपराध का हथियार कभी बरामद नहीं हुआ था।अंत में, यह तर्क दिया गया कि इसी साक्ष्य पर, अपीलार्थी की माँ को बरी कर दिया गया था।

बी.

सी.

13. इसमें कहा गया है कि अपीलार्थी ने अपनी सजा के 16 साल और 9 महीने बिताए हैं, लेकिन प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जेल में बिताए गए वास्तविक समय के बारे में कुछ विवाद उठाया गया था, हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि रिहाई के मामलों पर वास्तविक सजा काटने के 14 साल बाद विचार किया गया था।

डी.

14. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने मृत्यु के कारण के बारे में अभियुक्त द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव पर भरोसा किया, भले ही मृत्यु वैवाहिक घर की गोपनीयता में हुई थी। इसमें अपीलार्थी और उसके परिवार को एकमात्र निवासी कहा गया है, जहाँ मृतक का शव मिला था और यह स्वयं साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अर्थ के भीतर उन पर बोझ डालता है।

ई.

15. उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए, निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थीः

एफ.

क. अमरसिंह मुन्नसिंह सूर्यवंशी बनाम राज्य

महाराष्ट्र 1:इस मामले में, मृत्यु वैवाहिक गृह में हुई थी, लेकिन दोषसिद्धि का समर्थन मृत्यु घोषणा द्वारा किया गया था।

जी.

ख. राज कुमार प्रसाद तामारकर बनाम बिहार राज्य और अन्र। **2:**

यहां, अपराध का हथियार, एक बंदूक, आरोपी के कमरे से बरामद किया गया और मृत शरीर आरोपी के निजी कमरे से जुड़ी छत पर पाया गया।

1 (2007) 15 एससीसी 455 2 (2007) 10 एससीसी 433 ए

एच.

419

जयंतियल वर्मा बनाम एम. पी. राज्य (अब छत्तीसगढ़) [संजय किशन कौल, जे।] ए.

ग. त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य **3:**इसमें

मामले में, मृतक का शव वैवाहिक घर में पाया गया था और मौत का कारण गला घोंटना था, हालांकि बचाव पक्ष ने इसे सांप के काटने का मामला होने का अनुरोध किया।

16. इस प्रकार, उपरोक्त से पता चलता है कि तीसरा मामला वर्तमान मामले में तथ्यात्मक परिदृश्य के लिए सबसे उपयुक्त है।

बी.

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य गवाहों का प्रतिकूल रुख अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है और पीडब्लू-1 की गवाही सुसंगत और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थी।इस संबंध में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 का संदर्भ दिया गया था, जो इस प्रकार हैः

सी.

“134. गवाहों की संख्या।– किसी भी मामले में किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए गवाहों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं होगी।”

18. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि केवल बड़ी संख्या में गवाहों की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है।यह सबूत की गुणवत्ता है न कि गवाहों की संख्या, जो प्रासंगिक है।इस संबंध में निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया गया थाः

डी.

क. यानोब शेख उपनाम गागू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **4,** जहां यह

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

“20. हमें इस स्तर पर ध्यान देना चाहिए कि यह हमेशा मात्रा नहीं होती है, बल्कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की गुणवत्ता होती है जो अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने में या अन्यथा अदालत के साथ भारी होती है।अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे लाने की जिम्मेदारी के तहत है और उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गुणात्मक होना चाहिए और प्रकृति में मात्रात्मक नहीं हो सकता है।नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2007) 14 एस. सी. सी. 150] के मामले में न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

एफ.

“28. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारतीय कानूनी प्रणाली गवाहों की बहुलता पर जोर नहीं देती है।न तो विधायिका (साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134) और न ही न्यायपालिका यह आदेश देती है कि अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने के लिए गवाहों की विशेष संख्या होनी चाहिए।हमारी कानूनी प्रणाली ने हमेशा मूल्य, वजन पर जोर दिया है।

जी.

3 (2006) 10 एससीसी 681 4 (2013) 6 एससीसी 428

एच.

और गवाहों की संख्या, बहुलता या बहुलता के बजाय साक्ष्य की गुणवत्ता।इसलिए, यह एक सक्षम अदालत के लिए पूरी तरह से और पूरी तरह से एक एकल गवाह पर भरोसा करने और दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए खुला है।इसके विपरीत, यह कई गवाहों की गवाही के बावजूद अभियुक्त को बरी कर सकता है यदि वह साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट नहीं है।इस गंजे तर्क कि एक अकेले चश्मदीद गवाह के मामले में कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका कोई बल नहीं है और इसे नकार दिया जाना चाहिए।”

बी.

ख. गुलाम सरबर बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड) 5 जिसमें

न्यायालय ने उसी उपरोक्त सिद्धांत पर भरोसा किया।

19. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य पर विचार करने और दोनों अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्षों पर विचार करने पर हम नीचे दिए गए अदालतों के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं।

सी.

20. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़ी संख्या में गवाह मुकर गए और निचली अदालत भी इस मामले में अभियोजन के तरीके से खुश नहीं थी।लेकिन हमारे देश में लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों में यह कोई असामान्य घटना नहीं है और किसी भी गवाह संरक्षण व्यवस्था के अभाव में, किसी को इस बात की जांच करनी होती है कि जो भी सबूत है उस पर विचार किया जा सकता है, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि क्या यह आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा।

डी.

ई.

21. मृतक के असली भाई के शत्रुतापूर्ण होने के पीछे के कारण के बारे में निष्कर्ष पर आने के लिए अपनाया गया तर्क भी स्पष्ट और सही है, यानी मृतक के भाई-बहनों और अपीलार्थी के विवाहित होने को देखते हुए, निकट पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए, जो तत्काल मामले में विवाह द्वारा जारी रहे।भारतीय संदर्भ में, दो परिवारों के बीच एक निरंतर संबंध मौजूद है जिसमें बहू दूसरे घर से आती है।

एफ.

22. हम इस बात से अवगत हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल पीडब्लू-1 की गवाही और चिकित्सा साक्ष्य पर निर्भर करता है।पीडब्लू-1 का बयान सुसंगत और ठोस था, सिवाय इसके कि पहले के बयान में उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था कि मौत का कारण सर्पदंश था।हालाँकि, यह स्वयं उनकी गवाही के शेष हिस्से को रद्द नहीं करेगा।वास्तव में, उक्त गवाह बयान से पीछे नहीं हटे,

जी.

5 (2014) 3 एससीसी 401 ए

एच.

421

जयंतियल वर्मा बनाम एम. पी. राज्य (अब छत्तीसगढ़) [संजय किशन कौल, जे।]

लेकिन यह नहीं बता सका कि पुलिस ने इसे प्राथमिकी में क्यों दर्ज नहीं किया, हालांकि इसका उल्लेख किया गया था।

23. डॉक्टर ने मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया।इसके बाद, उन्होंने कहा है कि प्रकृति घातक हो सकती है।ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि दम घुटना मौत का कारण था, डॉक्टर खुद निर्णायक रूप से यह नहीं कह सकते थे कि यह हत्या थी या आत्महत्या।यह भी स्वेच्छा से राय दी गई थी कि मौत का कारण बनने के लिए कम से कम पांच मिनट का बलपूर्वक खींचना आवश्यक था।

बी.

24. हमारे विचार में, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मृत्यु कहाँ हुई और शव कहाँ मिला। यह यहाँ अपीलार्थी के घर के परिसर में था जहाँ केवल परिवार के सदस्य रह रहे थे।उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि घर और आसपास की इमारतों का स्थान ऐसा था कि बाहर से किसी के आने और मृतक का गला घोंटने की कोई संभावना नहीं थी और वह भी बिना कोई हंगामा किए या कोई मूल्यवान/आभूषण गायब हुए।

सी.

25. हम एक तथ्यात्मक स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ अपीलार्थी पर, एक पति के रूप में, कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है।यह तथ्य भी काफी स्पष्ट है कि परिवार के सदस्य कुछ समय पहले घर में थे।इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि पत्नी को चोट कैसे लगी होगी।यह एक मजबूत परिस्थिति है जो दर्शाती है कि वह अपराध करने के लिए जिम्मेदार है।6 इसमें अपीलार्थी का दायित्व था कि वह आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में मृत्यु के कारण के बारे में एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण दे और ऐसी स्थिति में केवल इनकार ही जवाब नहीं हो सकता था।

डी.

ई.

26. इस प्रकार, हम विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।तदनुसार अपील को खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एफ.

27. तथापि, हम प्रत्यर्थी राज्य को यह जांच करने का निर्देश देते हैं कि क्या इसमें अपीलार्थी ने वास्तविक सजा के 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं या नहीं और यदि ऐसा है, तो मानदंडों के अनुसार रिहाई के लिए उसके मामले की अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर जांच की

जानी चाहिए।यदि नहीं, तो वास्तविक सजा के 14 साल पूरे होने पर उसी समय के भीतर अभ्यास किया जाना चाहिए।

जी.

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका खारिज कर दी गई।

एच.

6 त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)।